राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3905/2025

कविता बाई **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ) समसा।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.08.2025
आदेश की दिनांक : 19.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धीरेन्द्र सिंह/कृष्ण कांत, अभिभाषक

समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है यह कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–1 के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, जहानपुर ब्लॉक गोविन्दगढ़ जिला अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.07.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खोहरा मालावाली ब्लॉक लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में स्थानान्तरण किया जाकर दिनांक 23.07.2025 (अनुलग्नक–3) को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 24.07.2025 (अनुलग्नक–4) को उक्त स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया। उनका कथन है कि स्थानान्तरण आदेश में 6डी/6(3) की प्रक्रिया अपनाए बिना ही पारित किया गया। अपीलार्थी को अधिशेष घोषित करने से पहले कोई सुनवाई या उचित सत्यापन नहीं किया गया है, जो नियम–1996 के नियम 289(2) एवं राजस्थान स्थानान्तरण गतिविधि नियम–2011 के विरूद्ध है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 24.07.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान नवीनतम दिशा–निर्देशों के बिंदु संख्या 10(3) की अवहेलना करते हुए निकट के विद्यालय को छोड़कर अन्य विद्यालय में कर दिया गया है, अपीलार्थी के छोटे–छोटे बच्चे है उनको देखभाल की आवश्यकता होती है। अपीलार्थी ने अपना पदस्थापन राजकीय प्राथमिक विद्यालय मस्तपुर,

मालीबास, साकीपुर, अलगाना ब्लॉक गोविंदगढ़ एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मणगढ़ तथा पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बस स्टेंड के पास किला लक्ष्मणगढ़ में किये जाने का अनुरोध किया। उनका कथन है कि स्थानान्तरण आदेश प्रतिबंध अवधि के दौरान बिना सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त एवं माननीय मुख्यमंत्री से अनुमति प्राप्त किये पारित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करे एवं अपीलार्थी को ब्लॉक गोविन्दगढ़ जिला अलवर में अध्यापक लेवल–1 के रिक्त पद पर अभ्यावेदन में उल्लेखित किसी भी रिक्त पद पर लगाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य(न्यायिक)